92

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक R 3435-II/12 /निगरानी

श्री ... द्वारा आज दि. 6-10-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– गोटीराम यादव पुत्र श्री भैरोसिंह यादव, आयु–65 वर्ष, व्यवसाय–कृषि कार्य
2– श्रीमती जयकुवॅर यादव पत्नी श्री स्व0 श्री चिंतामन यादव,
निवासीगण– ग्राम नौरा, पोस्ट थौना, तहसील– निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0

.......आवेदकगण

बनाम

1– सूरज यादव पुत्र श्री झल्ली यादव आयु– 38 वर्ष
2– झल्ली यादव पुत्र श्री भैरों यादव, आयु– 60 वर्ष
3– सुभाष यादव पुत्र श्री झल्ली यादव आयु– 30 वर्ष, निवासीगण– ग्राम नौरा, पोस्ट– थौना, तहसील– निवाडी, जिला–टीकमगढ, म0प्र0

.........अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्ध आदेश दिनांक 13/07/12 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाडी, जो प्रकरण कमांक 6/अ/12/2011–12 में पारित कर अनावेदकगण का सीमांकन आवेदन स्वीकार कर सीमांकन, पंचनामा, फील्ड बुक और सूचना–पत्र स्वीकृत किया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक नं.– 373, 374, 365, 364, 338 स्थित ग्राम नौरा जिला टीकमगढ है, जो खसरा कमांक– 303, 304, 330 एवं 364/2 लगी हुई है।

2– यह कि, अनावेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाडी के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 03/11/2011 को किया जाना कहा जाता है, जिसमें श्रीमान् राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28/06/12 को मौके पर सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना कहा जाता है और उक्त आधार पर दिनांक 28/06/12 को खसरा कमांक 304 के अंश रक्बा 0.150 हेक्टेयर पर आवेदिका

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3435-दो/2012 जिला टीकमगढ़ **गोटीराम विरूद्ध सूरज**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018.	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 1,2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील निवाडी के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	